भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2886

(जिसका उत्तर सोमवार, 07 अगस्त, 2023/16 श्रावण, 1945 (शक) को दिया जाना है)

प्राइवेट 'क्रिप्टो' और 'नॉन-फंजीबल टोकन' का स्वामित्व और व्यापार

2886. श्री राजन विचारे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास प्राइवेट 'क्रिप्टो' और 'नॉन-फंजीबल टोकन' (एनएफटी) के स्वामित्व और व्यापार को निषिद्ध/विनियमित करने की कोई योजना/प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ख): क्रिप्टो आस्तियां और नॉन-फंजीबल टोकन (एनएफटी) परिभाषा के अनुसार सीमारहित हैं और विनियामक मध्यस्थता को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए, विनियमन या प्रतिबंध लगाने के लिए कोई भी कानून केवल जोखिमों और लाभों के मूल्यांकन और सामान्य वर्गीकरण तथा मानकों के विकास पर पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही प्रभावी हो सकता है। इस तरह के सहयोग हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है क्योंकि कई देश और संगठन इस प्रक्रिया में शामिल हैं।

*****